सीमा

बनाम

अश्विनी कुमार

(स्थानांतरण याचिका (सी) नंबर 291/2005)

9 जुलाई 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम् J.J.)

पारिवारिक कानून :

विवाह का पंजीकरण - उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों रंजीत कुमार, (ए.सी.) दिनेश द्विवेदी, के को आवश्यक कानून बनाने के निर्देश दिए गए - गैर अनुपालन पर - निर्धारित किया गया, जिन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अनुपालन का विशिष्ट विवरण नहीं दिया, उन्हें चार महिने के भीतर शपथ पथ दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

सीमा बनाम अश्विनी कुमार (2006) 2 एस.सी.सी. 578 और सीमा

बनाम अश्विनी (2008) 1 एस.सी.सी. 180 - संदर्भित।

दीवानी मूल क्षेत्राधिकार: स्थानान्तरण याचिका (सिविल)

2005 की संख्या 291

उपस्थिति पक्षकारान के लिये ए. दीवान बलराज दीवान, मुकेश वर्मा, मनीष शंकर श्री वास्तव, यशपाल ढीगरा, ताराचंद्र शर्मा, अजय शर्मा नीलम शर्मा, गोपालसिंह, रितुराज विश्वास, शांतनु कृष्ण, अनुव्रत शर्मा, कामिनी जैसवाल, सुपर्णा श्रीवास्तव, नीरज गुप्ता, राजेश श्रीवास्तव, अरुणेश्वर गुप्ता, नवीन कुमार सिंह, शाश्वत गुप्ता, संजय और. हेगडे, अविजीत रॉय, रिकु शर्मा (मैसर्स कॉरपोरेट ग्रुप की ओर से) कुलदीपसिह, जन कल्याण दास, के. एप. मधुसूदन, और. सतीश, डी. एस. माहरा, सुनीता शर्मा, ए. सुभाशिनी, ए. मारियारपुथम, अरुणा माथुर, (मैसर्स अर्पुथम, अरुणा एण्ड कम्पनी की ओर से) हेमंतिका वाही, पिंकी, जेसल, यू. हजारिका, सत्यमित्रा, सुमिता हजारिका, के. एच. नोबिनसिंह, तरुण जामवाल, हेडविड राव, एस. विश्वजीत मेहतेई, विजय प्रकाश, पी. वी. दिनेश, वी. जी. प्रगसम, एस. जे. अरस्तु, प्रभु, रामसुब्रमण्यम, नवीन शर्मा, विकास उपाध्याय, बी. एस. बंथिया, रंजन मुखर्जी, नरेश के. शर्मा, मंजीत सिंह, हरिकेश सिंह, टी. वी. जॉर्ज अनिल श्रीवास्तव, रितुराज, मनीष कुमार सरन, निर्मल कुमार अंवस्थ, चिनमॉय

खलडकर, संजय खार्डे, आशा जी. नायर, जे. के. भाटिया, बी. एन. झा, डी. एम. नरगोलकर, वी. एन. रघुपति, नंदिनी गोरे, के. और. शशिप्रभु, डी. भारती रेड्डी और अनिल कटियार।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

डॉ अरिजीत पसायत जे.

1. इस मामले में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को विवाह के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में आवश्यक कानून बनाने के विषय पर निर्देश दिए गए। दिनांक 14.02.2006 के आदेश (सीमा बनाम अश्विनी कुमार (2006 (2) एससीसी 578 में रिपोर्टेड) द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे :

(i) आज से तीन महिने के भीतर सम्बन्धित राज्यों को पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिसूचित किया जाना चाहिए। यह मौजूदा नियमों, यदि कोई हो, में संशोधन करके या नए नियम बना कर किया जा सकता है। हालांकि इन नियमों को लागू किए जाने से पूर्व जनता के सदस्यों से आपत्तियों को आमंत्रित किया जाऐगा। इस संबंध में राज्यों द्वारा उचित प्रचार किया जाएगा और आपत्तियां आमंत्रित करने वाले विज्ञापन की तारीख से एक महिने की अवधि तक इस मामले को आपत्तियों के लिये खुला रखा जाएगां उक्त अवधि की समाप्ति पर, राज्यों द्वारा नियमों को लागू करने के लिये

उचित अधिसूचना जारी की जाएगी।

(ii) राज्यों के उक्त नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारी को विवाह का पंजीकरण करने के लिए विधिवत रुप से अधिकृत किया जाएगा। आयु, वैवाहिक स्थिति (अविवाहित तलाकशुदा) को स्पष्ट रुप से बताया जाएगा। इन नियमों में विवाह का पंजीकरण न करवाने या झूठी घोषणा किए जाने के परिणामों के संबंध में भी प्रावधान किया जायेगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इन नियमों का उददेश्य इस न्यायालय के निर्देशों का पालन (कार्यान्वित) करना होगा।

(iii) जब कभी भी व जैसे ही केन्द्रीय सरकार एक व्यापक कानून बनाती है तो वह भी इस न्यायालय के समक्ष जांच के लिए रखा जाएगा।

(iv) विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के विद्वान अधिवक्ता यहां दिए गए निर्देशों की तत्काल क्रियान्विति को सुनिश्चित करेंगे।

इसके उपरांत आदेश दिनांक 25.10.2007 के द्वारा आगे के निर्देश दिए गए। (देखे सीमा बनाम अश्विनी कुमार 2008 (1) एससीसी 180) पूर्व में किए गए विवेचन में इस संदर्भ पर विशेष बल दिया गया कि विभिन्न धर्मो से जुडे व्यक्ति जो भारत के नागरिक है, उनके विवाह को, उन राज्यों द्वारा जहां उनके विवाह हुए है, के द्वारा अनिवार्य रुप से पंजीकृत किया जाना चाहिए। इस

मामले को 28.04.2008 को लिए जाने पर विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए अनुपालन के विवरण को रिकार्ड पर रखा गया। यह कथित किया गया कि चार राज्यों: मध्यप्रदेश, गुजरात, केरल और हरियाणा के पहले से ही अन्तिम नियम है। जहां तक पंजाब राज्य का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया था कि विधेयक तैयार कर लिया गया है और इस विधान सभा के समक्ष रखा जाना है। इसके अलावा यह बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश और उत्तरप्रदेश में मसौदा नियम तैयार कर लिए गए है। केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की ओर से आगे कहा गया कि मामले को केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है, क्योंकि विशेष शुरुआत के मुद्दों से संबंधित है। जहां तक उत्तराखण्ड राज्य का संबंध है, यह कहा गया कि वर्ष 2006 में नियम बना लिए गऐ थे और मामला गृह मंत्रालय द्वारा कुछ सुझाव दिए जाने के कारण विचाराधीन है। जहां तक महाराष्ट्र राज्य का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 15.05.1999 से प्रभाव में होने के उपरांत, कुछ संशोधन आवश्यक है, क्योंकि कथित विवाह अधिनियम के तहत सभी विवाह सीधे तोर पर आच्छादित नहीं होते है। जहां तक सिक्किम राज्य का संबंध है, यह कहा गया था कि नियमों को दिनांक 09.08.2007 को अधिसूचित कर लिया गया था और मिजोरम राज्य में एक अधिनियम दिनांक 24.02.2007 को बना लिया गया था। इस संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है। जहां तक मणिपुर

राज्य का संबंध है, यह कहा गया कि विधेयक फरवरी 2008 में विधानसभा में प्रस्तावित किया जा चुका है। जहां तक आसाम राज्य का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया कि विधेयक विचाराधीन है।

तमिलनाडू राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि वह यह पता लगाना चाहते है कि क्या दिनांक 26.02.2007 को कोई कानून प्रस्तुत किया गया है और अतिरिक्त शपथ पत्र प्रस्तुत करना चहाते है। छतीसगढ राज्य की ओर से यह निवेदन किया गया कि आवश्यक कानून अधिनियमित किए जा चुके है। वे सभी राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश जिनके द्वारा विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया है, वे आज से चार महिने के भीतर एक शपथ पत्र दिनांक 20.11.2006 को प्रस्तुत करें।

चार महीने के बाद सूचीबद्ध हो।

B.B.B.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुषमा पारीक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।